प्रेषक,   संख्या-3678/14-

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

2-मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2   लखनऊ दिनाँक 20 अक्टूबर,08

विषयः- आप्टिकल फाइबर केबिल का बिछाये जाने के दौरान 20 किमी0
कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2
दिनांक 23-8-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श
दिनांक 23-8-2008 एवं 12-11-2008 में ओ0एफ0सी0 बिछाये जा
कम्पनियों से 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक स
कराये जाने की शर्त लगायी गयी थी। सम्प्रति शासन के संज्ञान में यह आर
अतिरिक्त प्रभागों द्वारा प्रत्येक डिवीजन स्तर में 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षार
धनराशि की मांग सम्बंधित कम्पनियों से की जा रही है, जो निर्गत शासनादेश
23-8-2008 एवं 12-11-2008 के विपरीत है।

3- अतः इस सम्बंध में पुनः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि ओ0ए
बिछाये जाने वाली प्रत्येक कम्पनी को केवल एक ही बार (One Time) 20
तीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक स्थान पर कराया जाना होगा।
के अनुसार प्रदेश में किसी एक स्थान पर वृक्षारोपण कराये जाने के पश्चात् उन
इस कार्य करने हेतु अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4- कृपया तद्नुसार सर्वसम्बंधित को अपने स्तर से भी सूचित करने व
करें।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1)-समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(2)-समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(3)-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4)-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संख्या– 4662–14–2–/20

प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

वन अनुभाग–2

लखनऊ: दिनॉंक: 12-11-08

विषय:– ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने के दौरान 20 कि0मी0 वृक्षारोपण कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–2544/14–2–08 दिनॉंक 23–
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक
23–8–08 द्वारा प्रत्येक कम्पनी से प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइन
सुनिश्चित कराने के निदेश निर्गत किये है । उक्त शासनादेश निर्गत के पूर्व ओ0एफ0सी0
की अनुमति सम्बन्धी प्रत्येक शासनादेश में 20 कि0मी0 वृक्षारोपण किये जाने की शर्त स
अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनॉंक 23–8–08
स्तर से निर्गत शासनादेश भी इस शासनादेश से ही आच्छादित होंगे तथा उन्हे भी पूरे प्रदे
जगह 20 कि0मी0 वृक्षारोपण तीन लाइन में लगाया जाना होगा । अर्थात प्रत्येक ओ0एफ
वाली कम्पनी को पूरे प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइन में वृक्षारोपण कराया

3– कृपया उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पवन कुमार)
सचिव

संख्या– /14–2–2008 तद्दिनॉंक प्रमुख वन संरक्षक के माध्यम से
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 ।
2– समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0 ।
3– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0
4– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
सचिव

2059
27.11.08

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक २५२५ /5–1 दिनांक : आगरा : २८, जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0।

विषय : जनपद आगरा में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत 20 कि0मी0 क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि का सत्यापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/WEST/UP/AGRA/FOREST/01 दि0 21.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा 20 कि0मी0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या–846850 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, आगरा रू0 1,09,00,000.00 (रू0 एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 03.05.2012 इस कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा नहीं किया गया है। अपितु आपके पत्रांक रिक्त दिनांक 08.11.2013 द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या–300246 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, आगरा रू0 1,09,00,000.00 (रू0 एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 08.11.2013 इस कार्यालय द्वारा दिनांक 08.11.2013 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, आगरा में जमा किया गया है।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फैजाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

com-3/acc//letter-11/13

Reliance Jio
Infocomm Limited

Date 8/11/13

To

DFO Agra.

Sub Reference to our application for laying OFC from ______

To ______ for total length of 20km Plantation Km in your jurisdiction.

Ref Your Demand Note letter no. ______, Dated ______.

Dear Sir,

Reference the subject, herewith, we are enclosing the following payments.

1 DD amount Rs 1090000, DD No. 300246 Dated 8/11/13 Issuing Bank HDFC, Issued in favour of PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAGA

2 Bank Guarantee Issued in favor of ______

Rs ______, valid till Date ______, Issuing Bank ______.

Note Kindly Acknowledge the same on a Duplicate Copy.

Reliance Jio Infocomm Limited

8/11/13, Authorized Signatory

For further communication please contact Mr. Sanjeev Pathak 09910256569

C/O IHSL, 77B, Lower Ground, IFFCO Road, Sector -18, Gurgaon, Haryana 122015, INDIA, Email ID Sanjeev.pathak@hfcl.com

HDFC BANK

Cash Management Services - Payments

MAIL TO

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

BY ORDER OF

RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED

Reliance Corporate Park,
Gr Floor.MAB, 5-TTC industrial
area,Ghansoli, NAVI Mum - 701

Instrument Date : 08/11/2013 Instrument No.: 300246 Amount Rs.*1,09,00,000.00

4200030956

HDFC BANK

PAYINST DRAFT

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

0 8 1 1 2 0 1 3

A/c Payee Not Negotiable

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

ON DEMAND PAY

RUPEES ONE CRORE NINE LAKHS ONLY ** OR ORDER

₹ *1,09,00,000.00

FOR HDFC BANK LTD.

Payable at Par at all Clearing Branches of HDFC Bank Ltd. in India.

Centralised Clearing :Agra

DRAWEE BRANCH 300246 ISSUING BRANCH AUTHORISED SIGNATORIES

BANG DATA FORMS CTS 2010 09/13

⑈300246⑈ 000240000⑆ 999998⑈ 16